न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/124/2020	15–12–2020	09–02–2021

01–राजेश पुत्र हरिसिंह उर्फ हरिकिशन जाति माली निवासी पट्टी जोडिया बहारदुरपुर तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बहादुरपुर दिनांक 02–09–2020 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 31/20

उपस्थित:–

01. श्री दलेर सिंह –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बहादुरपुर के आदेश दिनांक 02–09–202 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम पट्टी कानूगा उप तहसील बहादुरपुर के आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै0मु0पहाडी पर पक्का निर्माण एव बाडा से बेदखल करने एवं 08/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0पहाडी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया हैं। जबकि मौके पर बेदखल करने हेतु जो टीम गई उन्होनें प्रार्थी (अपीलान्ट) का केवल दो फुट बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध निर्माण होना माना है और जो पक्का निर्माण होने के कारण कथित निर्माण को हटाने के लिए टीम गठित गई है और अभी तक अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है। जिस आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित गया है उस आराजी पर अनेको लोगों के पक्के मकान बने हुए है एवं कथित दो फुट बाउण्ड्रीवाल कर अवैध निर्माण बताया गया है वह काफी पुराना है। पूर्व में भिन्न–भिन्न लोगों को नोटिस दिये गये थे किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। महज राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलान्ट के खिलाफ अपीलीय आदेश पारित किया गया है जो गलत है। अपीलान्ट का जो अवैध कब्ला दो फुट बाउण्ड्रीवाल पर होना बताया गया है वह काफी पुराना है और अपीलान्ट ने सम्वत् 2077 में कोई नवनिर्माण व अवैध कब्जा नहीं किया है। तहत अदालत ने इस की जॉच नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27.11.2020 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 9.12.20 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया नकल दिनांक 10–12–2020 को प्राप्त हुई, दिनांक 2.9.20 से दिनांक 9.12.20

जिला कलक्टर, अलवर

तक का समय जानकारी के अभाव में अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी बजंड की है। किस्म गै0मु0पहाडी पर पक्का निर्माण एवं बाडा पर अतिक्रमण नहीं हो सकते। अपीलान्ट ने मौके पर अवैद्य रूप से किस्म गै0मु0पहाडी की भूमि पर पक्का निर्माण कर रखा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरूद्ध दिनांक 02–09–2020 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि प्रार्थी (अपीलान्ट) का केवल दो फुट बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध निर्माण होना माना है और जो पक्का निर्माण होने के कारण कथित निर्माण को हटाने के लिए टीम गठित गई है और अभी तक अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है। जिस आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित गया है उस आराजी पर अनेको लोगों के पक्के मकान बने हुए है एवं कथित दो फुट बाउण्ड्रीवाल कर अवैध निर्माण बताया गया है वह काफी पुराना है। पूर्व में भिन्न–भिन्न लोगों को नोटिस दिये गये थे किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। महज राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलान्ट के खिलाफ अपीलीय आदेश पारित किया गया है जो गलत है। अपीलान्ट का जो अवैध कब्ला दो फुट बाउण्ड्रीवाल पर होना बताया गया है वह काफी पुराना है और अपीलान्ट ने सम्वत् 2077 में कोई नवनिर्माण व अवैध कब्जा नहीं किया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में न किया हो। अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा बेदखली व पैनल्टी का जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर तहसीलदार नायब तहसीलदार बहादुरपुर का आदेश दिनांक 02–09–2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 09–02–2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर